नम्बर व तारीख इस हुक्म की जारी हुए

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–19 / 2022

प्रार्थीगण:–

1. शंकरगिरी पुत्र तिलगिरी जाति स्वामी निवासी अर्जियाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.
2. सुरजगिरी पुत्र तिलगिरी जाति स्वामी निवासी अर्जियाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज

बनाम

विप्रार्थी:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

## –:: आदेश ::–

दिनांक :–16.01.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 272 व 43 कुल रकबा 6.2565 हैक्टेयर ग्राम अर्जियाना तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थीगण के वास्तविक नाम एवं वल्दियत शंकरगिरी,सूरजगिरी पि. तिलगिरी है और उनके राजस्व रेकर्ड के अतिरिक्त अन्य समस्त दस्तावेजात में इसी अनुसार नाम अंकित हैं, किन्तु लिपिकीय त्रुटि से विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शंकरगर,सूरजगर पि.तिलगर दर्ज हो गया है जिससे नाम– विभिन्ता के कारण प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण, अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अतः प्रार्थीगण ने विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि को दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुये प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के [illegible] ''शंकरगिरी पुत्र तिलगिरी एवं सूरजगिरी पुत्र तिलगिरी'' होने [illegible] भूल से ''शंकरगर पुत्र तिलगर ,सूरजगर पुत्र ति[illegible] जबकि प्रार्थीगण के [illegible] दस्तावेजात–यथा आधारकार्ड,परिवार राशनकार्ड,एस.[illegible]ाई बैंक मोकलसर की [illegible] में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम दर्ज है । इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में अशुद्व प्रविष्टि के कारण प्रार्थीगण सरकार द्वारा देय सुविधा से वंचित हो रहे हैं। अतः प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:27:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत अर्जियाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के वास्तविक नाम शंकरगिरी,सूरजगिरी पि. तिलगिरी है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में ''शंकरगर पुत्र तिलगर ,सूरजगर पुत्र तिलगर'' दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात– यथा आधारकार्ड,,मतदाता पहचान पत्र एवं S.B.I MOKALSAR द्वारा जारी बैंक पास बुक,में प्रार्थीगण के नाम तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट अनुसार दर्ज हैं। सरपंच ग्राम पंचायत अर्जियाना द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र से भी प्रार्थीगण के वास्तविक नाम ''शंकरगिरी पुत्र तिलगिरी एवं सूरजगिरी पुत्र तिलगिरी'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में राजस्व रेकर्ड की तदनुसार दुरुस्ती किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अर्जियाणा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 272 व 43 रकबा 6.0298 व 2.2267 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में अंकित शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुये प्रार्थीगण का नाम ''शंकरगर पुत्र तिलगर ,सूरजगर पुत्र तिलगर'' के स्थान पर ''शंकरगिरी,सूरजगिरी पिसरान तिलगिरी'' दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है ।

( दिनेश विश्नोई )
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( दिनेश विश्नोई )
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:27:21 IST
Reason: SelfAttested